क्रम-संख्या–9

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 260 / 79-वि-1–2026-1-क-20-2025
लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–5 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 18 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023 की धारा 4 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 4, उपधारा (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(क) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर हो या रहा हो; या''

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

————————

उद्देश्य और कारण

विभिन्न विभागों यथा उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आदि के लिए पारदर्शी एवं निष्पक्ष रीति से परीक्षायें संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) के अधीन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की विशाल कार्य संरचना, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में परीक्षा प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, और ईमानदारी के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध परीक्षाएँ संचालित करने के लिए एक कुशल और अनुभवी व्यक्तित्व की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करके अध्यक्ष के पद पर चयन के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15, सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 260 (2)/LXXIX-V-1–2026-1-ka-20-2025
Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Sewa Chayan Aayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 2026. The Uchha Shiksha Anubhag-5 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2025

(U.P. Act no. 11 of 2026)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature Assembly*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of November, 2025.

Amendment of Section 4 of U.P. Act no. 15 of 2023

2. In sub-section (2) of Section 4 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023, *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely:-

" (a) is holding or has held the post of Principal Secretary to the State Government or a post equivalent thereto; or"

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in respect of the provisions made by this Act, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 15 of 2025

4. (1) The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission has been constituted under the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no. 15 of 2023) to conduct examinations in a transparent and fair manner for various departments like the Higher Education Department, Secondary Education Department, Basic Education Department, *etc*..

In view of the vast work structure of the Commission, the modernization of examination processes in the era of modern information technology, and the need for a skilled and experienced personality for conducting fair, transparent, and time-bound examinations with integrity, it was decided to expand the eligibility criteria for selection to the post of Chairman by amending Section 4 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 15 of 2025) was promulgated by the Governor on November 18, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 318 राजपत्र–2026–(964)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 142 सा0 विधायी–2026–(965)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
318_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(Shisha chayan ayog)-2026 Data-4E